रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 23, 1979/कार्तिक 1, 1901

No. 205] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 1979/KARTIKA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

**सार्वजनिक सूचना संख्या 71–ई०टी०सी० (पी०एन०)/79**

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1979

विषय : खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत कपास, ऊन और मानव निर्मित रेशों से बने कुछ वस्त्रों और या बनी हुई मदों के संयुक्त राज्य अमरीका, पूर्वी यूरोपीय सदस्य राज्यों स्वीडन, नार्वे, फिनलैण्ड और आस्ट्रिया को 1-1-1980 से 31-12-1980 तक निर्यात के लिए योजना ।

**मि० सं० 2/26/78–ई–I.**—यह योजना 1-1-1980 से 31-12-1980 तक की अवधि के लिए (1) संयुक्त राज्य अमरीका, पूर्वी यूरोपीय देशों (जर्मनी संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली बेनिलक्स, यूनाइटेड किंगडम, आइरिश गणराज्य और डेनमार्क), स्वीडन और नार्वे को कपास, ऊन और मानव निर्मित रेशों (2) फिनलैण्ड को कपास और मानव निर्मित रेशों और (3) आस्ट्रिया को कपास के कुछ वस्त्रों और/या इनसे बनी हुई मदों के निर्यात से सम्बन्धित है ।

2. इस योजना के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूची सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् और ऊन व ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद् के पास उपलब्ध है । जब तक अन्यथा रूप से निर्देश न दिया जाए तब तक सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई (टेक्स-प्रोसिल) कोटे का आबंटन करेगी और ऊनी वस्त्रों और इनसे बनी मदों को छोड़कर सभी वस्त्रों और बनी हुई मदों का आवश्यक प्रमाणन करेगी । ऊनी वस्त्रों और इनसे बनी मदों के लिए कोटा आबंटन ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली (डब्ल्यू० एण्ड डब्ल्यू० ई०पी०सी०) द्वारा किया जाएगा । लेकिन, ऊनी वस्त्रों और इनसे बनी मदों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाणन टेक्स-प्रोसिल द्वारा किया जाएगा जिसकी रूपरेखा निम्नलिखित कण्डिकाओं में प्रस्तुत की गई है । एजेंसियों को कोटा निर्धारण और प्रमाणन के सम्बन्ध में जो परिवर्तन उपयुक्त समझा जाए उसके सम्बन्ध में और किसी अन्य एजेंसी को किसी कार्य के अंश के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सरकार का अधिकार सुरक्षित है ।

3. कोटा आबंटन के उद्देश्य के लिए पोत लदान की अवधि छः-छः महीनों की दो अवधियों में बांटी जाएगी अर्थात् 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1980 तक और 1 जुलाई, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक । वार्षिक कोटे के 60% का आबंटन प्रथम 6 महीनों के दौरान और शेष 40% का अगले 6 महीनों के दौरान होगा । प्रत्येक छमाही अवधि के अन्तर्गत उपलब्ध कोटे के 50% का आबंटन तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर होगा और शेष 50% का आबंटन पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर होगा । कोटे के उपयोग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रतिशतता में परिवर्तन कर सकती है ।

4. पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर कोटा आबंटन के मद्दे पोत लदान कोटा पृष्ठांकन की तिथि से पूरे 10 दिनों

के भीतर करने होंगे । लेकिन अपवाद स्वरूप मामलों में वैध कारणों से वस्त्र आयुक्त या उसके प्रतिनिधि से प्राधिकरण प्राप्त करने पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

5 जब कभी सूती ऊनी और मानव-निर्मित रेशा के लिए कोटा एक में मिला दिया जाता है तो ऊनी और सिन्थेटिक के लिए आरक्षण विशिष्ट मात्रा के अनुसार किया जाएगा । निर्यात आयुक्त द्वारा मात्रा का निर्धारण सम्बद्ध परिषदों से आवश्यकता की जानकारी करने के पश्चात् और पिछले वर्ष की विधि का एवं भविष्य की प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । माग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यकता पड़ी तो उपर्युक्त निर्धारित मात्रा में भी आशोधन किया जा सकता है ।

6 जिन मामलों में हथकरघा और मिल निर्मित मदें आवटन के लिए आपस में सम्मिलित कर दी गई हों उनमें संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में हथकरघा की अन्य मदों से अनुपात 2 1 का होगा जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 1 1 का होगा । माग की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हुए इन अनुपातों में संशोधन किया जा सकता है ।

7 पहले आए सो पहले पाए पक्की सविदा के आधार पर कोटा आवटन के लिए आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को कोटा आवटन के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 10% मूल्य के लिए निष्पादन बाण्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा । पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर कोटा आवटन के मामलों में आवेदक को कोटा पृष्ठांकन के समय जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 10% की दर से "अग्रिम धन" जमा करना होगा । यदि कोटा आवटन कोटा पृष्ठांकन का उपयोग वैध अवधि के दौरान 90% से कम नहीं है तो निर्यात साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा की गई अग्रिम धनराशि निष्पादन बाण्ड की पूरी धनराशि वापस करने योग्य होगी । यदि कोटा आवटन का उपयोग 90% से कम है तो अनिवार्य बाध्यता की शर्तों को छोड़कर निष्पादन बाण्ड/जमा की गई पूर्ण धनराशि जब्त की गई समझी जाएगी । आगे अनिवार्य बाध्यता की शर्तों को छोड़कर यदि वापस किए गए कोटा आवटन के 25% से अधिक है तो सरकार ऐसे पोतयणिकों को कोटा आवटन से विवर्जित करने के लिए भी विचार कर सकती है ।

8 1979 के दूसरे भाग में अपनाए गए तरीके का अनुसरण कर बैंक गारन्टी और निक्षेपों से सम्बन्धित शर्तें जो कि विशेष रूप से प्रचालन में मन्द गति वाली मदों के लिए अभिज्ञात की गई थीं ऐसे मामले में वस्त्र आयुक्त के साथ परामर्श कर सरकार उसको बन्द कर सकती है । प्रचलन में मन्द गति वाली मदों की पहचान के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित केवल थोड़ी सी धनराशि ही देनी आवश्यक होगी । इसके अतिरिक्त जो भी कोई आवटन के लिए पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर अथवा पहले आए सो पहले पाए पक्की सविधा के आधार पर आता है तो उपलब्धता के अधीन आवटन प्राप्त करेगा । गत वर्ष के निर्यात आंकड़ों और चालू वर्ष के सम्भावित प्रत्याशी आंकड़ों के आधार पर प्रचलन में मन्द गति वाली मदों की पहचान के पश्चात् सरकार सभी सम्बद्धों को अलग-अलग सूचित करेगी ।

9 जब तक अन्यथा रूप से निर्विष्ट न किया जाए वस्त्र आयुक्त बम्बई कोटा आवटन से सम्बन्धित मामलों पर दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा । एक समन्वय समिति जिसमें वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष और विभिन्न सम्बद्ध परिषदों के प्रतिनिधि होंगे महीने में कम से कम एक बार स्थिति की पुनरीक्षा करेगी । विचारों में मतैक्य न होने पर मामला वस्त्र आयुक्त द्वारा सुलझाया जाएगा ।

10 कोटा वितरण के मार्गदर्शन की किसी भी शर्त में सरकार पूर्व सूचना दिए बिना ही संशोधन कर सकती है ।

11 इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद् या अन्य मनोनीत उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग परेषणों के लिए पोत परिवहन बिलों की मूल और द्वितीय प्रति पर कोटा पृष्ठांकन के आधार पर पोतलदानों की अनुमत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत लदान के पत्तनों पर दी जाएगी । लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के सम्बन्ध में पोत लदानों की अनुमति देने से पहले सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् या किसी निर्धारित प्राधिकृत निकाय द्वारा जारी किए गए विशेष सीमा-शुल्क बीजक सं० 5515 पर सीमा शुल्क प्राधिकारी सीमा पृष्ठांकन का भी सत्यापन करेंगे । पूर्वी यूरोपीय सदस्य राज्यों को निर्यातों के सम्बन्ध में कोटा पृष्ठांकन के साथ सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा इस सम्बन्ध में विधिवत् प्राधिकृत कोई अन्य निकाय निर्यात प्रमाण-पत्र और अलग अलग सीमा श्रेणी रखने वाले श्रेणियों के लिए उद्गम प्रमाण पत्र और अलग-अलग सीमा श्रेणी न रखने वाली अन्य श्रेणियों के उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करेगा, ये प्रमाण-पत्र गन्तव्य स्थानों पर निकासी प्राप्त करने के लिए आयातकों को भेजने के लिए होंगे ।

12 जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका और पूर्वी यूरोपीय देशों और आस्ट्रिया को हथकरघा वस्त्रों हथकरघा वस्त्रों से बनी वस्तुओं के निर्यात का सम्बन्ध है पोत लदानों की अनुमति सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों अथवा अन्य प्राधिकृत निकायों द्वारा कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकताओं के बिना सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा वस्त्र समिति के प्रमाणन के आधार पर दी जाएगी ।

13 जो भारतीय मदें विशेष रूप से भारतीय परम्परागत लोकवस्त्र उत्पाद हैं उनके सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यातों के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड या वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाणपत्रों के आधार पर सीमा-शुल्क विभाग द्वारा अनुमति दी जाएगी । भारत मदों के रूप में प्रमाणित मदों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत परिवहन बिलों के पृष्ठांकन के लिए सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों या किसी अन्य विधिवत् प्राधिकृत निकाय द्वारा किसी भी कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी ।

14 जब कभी प्रेषित माल पोत लदान के लिए तैयार हो तो निर्यातक आवश्यक पोत लदान दस्तावेज (जिसमें पोत लदान बिलों की दो प्रतियां शामिल हैं) और दो प्रतियों में आवेदन पत्र जिसमें पोत लदान के अन्तर्गत माल का विवरण दिया गया हो इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा इसके अन्तरवर्ती पत्तन प्रतिनिधियों को कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने और आवश्यक निर्यात प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत करेगा । इसके पश्चात् दस्तावेजी और अन्य कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए पोत लदान बिल सीमाशुल्क विभाग को भेजे जाएंगे । इन सभी मामलों में पोतयणियों को सीमाशुल्क से पोत परिवहन बिल प्राप्त करने के बाद उस निर्यात संवर्धन परिषद् या उसके अन्तर्वेशीय पत्तन प्रतिनिधियों का सूचित करना होगा जिनसे कोटा पृष्ठांकन प्राप्त किया गया है ।

15 निर्यात प्रमाण-पत्र क्रेता के लिए आवश्यक है और अतः इसको परिषद् से प्राप्त करने के पश्चात् पोतयणिकों को अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ क्रेता को प्रेषित करना पड़ेगा ।

16 निर्यात भारत में किसी भी पत्तन से अनुमत किया जाएगा ।

17 निर्यात संवर्धन परिषदों के पते इस प्रकार हैं :—

(1) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,
"इंजीनियरिंग सेन्टर"
9-मैथ्यु रोड, पांचवीं मंजिल,
बम्बई-400004

(2) ऊन और ऊनी माल निर्यात संवर्धन परिषद्,
714-अशोक इस्टेट,
24 बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली-110001

18 वे व्यक्ति जिन्हें उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार कोटा दिया गया है परन्तु जिन्होंने कोटे का पूरा उपयोग नहीं किया है उन्हें आगामी कोटा प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ इस बारे में उन पर अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

मो० वेंकटरमन मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

**(Department of Commerce)**

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 71-ETC(PN)/79

New Delhi, the 23rd October, 1979

Sub : Scheme for exports under OGL, 3 of certain fabrics and/or made-ups items made from cotton, wool and man-made fibres to U.S.A. EEC Member States, Sweden, Norway, Finland and Austria from 1-1-1980 to 31-12-1980.

**F. No. 2/26/78-E.1.**—This scheme relates to the export of certain fabrics and/or made-ups items of (i) Cotton, Wool and man-made fibres to USA, EEC countries (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, the United Kingdom, Irish Republic and Denmark, Sweden and Norway; (ii) Cotton and man-made fibres to Finland; and (iii) Cotton to Austria for the period 1-1-1980 to 31-12-1980.

2. The list of categories of textile products covered under the scheme are available with the Cotton Textiles Export Promotion Council and the Wool and Woollens Export Promotion Council. Unless otherwise directed the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (TEXPROCIL) will allocate quotas and do necessary certification for all fabrics and madeouns excluding woollen fabrics and made-ups and quota allocation for woollen fabrics and made-ups will be done by the Wool and Woollens Export Promoton Council New Delhi (W&WEPC). However, in respect of woollen fabrics and made-ups, necessary certification as outlined in the following paragraphs will be done by the Texprocil. The Government reserves the right to make changes as considered appropriate with regard to the agencies for quota allocation and certification and with regard to transfer of any part of the work to any other agency.

3. For the purposes of quota allotment the shpment period will be divided into two six-monthly periods, i.e., from 1st January, 1980 to 30th June, 1980 and from 1st July, 1980 to 31st December, 1980. 60 per cent of the annual quota will be allocated during the first six months and the rest 40 per cent during the next six months. 50 per cent of the quota available under each six monthly period will be allocated on first-come, first served (NCFS) basis for ready goods and the rest 50 per cent on FCFC basis for firm contracts. The percentages can be changed by the Government depending upon the trend of quota utilisation.

4. Shipments against quota allocations on FCFS readygoods basis will have to be effected within 10 clear days from the date of quota endorsement. However, this period can be extended in exceptional cases for valid reasons on specific authorisation from the Textile Commissioner or his representative.

5. Wherever, the quotas for cotton, woollen and manmade fibres are combined, the reservation for woollen and synthetic will be done in terms of specific quantities. The actual quantities would be determined by the Textile Commissioner, after ascertaining the need from the respective Councils and after keeping in mind the pattern for the last year and future prospects. Depending upon the demand trend the above quantities fixed may have to be modified, if required.

6. In cases, where handloom and millmade items are clubbed together for allocation, the ratio of handloom to others in case of USA will be 2 : 1 whereas it will be 1 : 1 for other areas. These ratios may be amended depending upon the demand trend.

7. Performance bond for a value of 10 per cent of the FOB value of quota allotment will have to be submitted by the applicant alongwith the application for quota allotment on FCFS firm contract basis. In case of quota allocation of FCFS readygoods basis earnest money at the rate of 10 per cent of the FOB value will have to be deposited by the applicant at the time of quota endorsement. If the utilisation within the validity period of quota allotment/quota endorsement is not less than 90 per cent, full amount of earnest money deposit/performance bond will be refundable on producton of evidence of exports. If the utilisation of quota allocation is less than 90 per cent full amount of the performance bond/deposit will be liable to be forfeited, except in conditions of force majeure. Further, except in conditions of force, majeure, if the surrender of quota is in excess of 25 per cent of allotment, Government may consider debarment of such shippers from quota allotment.

8. In line with the practice followed in the second half of 1979, the provisions regarding bank guarantee and deposits would be dispensed with in case of slow-moving items specially identified for this purpose by the Government in consultation with the Textile Commissioner. For the identified slow-moving items, a nominal deposit as prescribed by the Textile Commissioner would only be required. Besides, anybody who comes for allocation either on FCFS ready goods basis or on FCFS firm contract basis, will got the allocation subject to availability. The Government will separately inform all concerned after the identification of such slow moving terms on the basis of past export figures and possible expectation in the current year.

9. Unless specified to the contrary, the Textile Commissioner, Bombay, will continue to have day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. A Coordination Committee, with the Textile Commissioner as Chairman, and representatives of various Councils concerned will review the situation at least once a month. In case of difference of opinion, the matter will be decided by the Textile Commissioner.

10. Government reserves the right to make amendment in any of the provisions of these quota distribution guidelines without giving prior information.

11. Shipment will be allowed by the Customs authorities at the ports of shipment on the basis of quota endorsement on the original and duplicate of the shipping bills for individual consignments issued by the Export Promotion Council or any other appropriate body designated for this purpose. In respect of USA, however, before allowing shipments, the Customs authorities would also verify the visa endorsement on the special customs invoice No. 5515 issued by the Export Promotion Council concerned or any authorised body prescribed for this purpose, including their representatives. In respect of exports to EEC Member States, alongwith the quota endorsement, the Export Promotion Council concerned or, any other body, duly authorised in this behalf will issue export certificate and certificate of origin in respect of other categories not having individual category limits for forwarding these certificates to importers for obtaining clearance at the destination.

12. In so far a export to USA, EEC and Austria of handloom fabrics, made-up articles made from handloom fabrics and concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of the certification by the Textile Committee without the requirements of quota endorsement by the Export Promotion Council or other authorised bodies concerned.

13. In respect of 'India Items' which are typically Indian traditional folklore textile products, shipments will be permitted by the Customs for exports to USA and EEC on the basis of appropriate certificates issued by the All India Handicrafts Board or the Textiles Committee. For items specified as 'India Items' no quota endorsement by the Export Promotion Council concerned or by any other duly authorised body will be required, for endorsement of the shipping bills by the Customs authorities.

14. Whenever the consignment is ready for shipment, the exporter shall submit the necessary shipping documents (including shipping bills in duplicate and proforma application in duplicate covering the details of goods under shipment to the Export Promotion Council designated for this purpose or to its up-country port representatives alongwith quota certificate, for obtaining quota endorsement and for issuing the necessary export certificate. Thereafter, the documents shall

be submitted to the Customs for completion of the shipping bills and other formalities. In all these cases the shippers will be required to inform the Export Promotion Council concerned or its up-country port representatives from whom the quota endorsement is obtained, the number and the date of shipping bills after the same are collected from the Customs.

15. The export Certificate is meant for the buyer and hence the same after obtaining from the Council has to be forwarded by the shipper to his buyer alongwith other relative documents.

16. Export will be allowed from any port in India.

17. The addresses of Export Promotion Councils are as follows :

1. The Cotton Textiles Export Promotion Council 'Engineering Centre, 9, Mathew Road, 5th Floor, Bombay-400004.

2. Wool and Woollens Export Promotion Council, 714, Ashoka Estates 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

18. Persons to whom quotas are allowed in accordance with the above arrangements but who do not utilise them fully would be liable to disqualification from getting future quotas without prejudices to any other action that may be taken in this behalf.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979